रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 318] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 1987/ज्येष्ठ 28, 1909
No. 318] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 1987/JYAISTHA 28, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 583(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1985 को संशोधित करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1985 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

"3. वेतन—अध्यक्ष नौ हजार रुपये वेतन प्रतिमास प्राप्त करेगा; उपाध्यक्ष 8000 रु. का वेतन प्रतिमास प्राप्त करेगा और सदस्य 7300–100–7600 रु. प्रति मास के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति होने की दिशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त हुआ है या जो पेंशन और /या उपदान या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा निवृत्ति लाभ या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो

गया है तो पूर्वोक्त वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन और उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्त फायदों, यदि कोई हों; की कुल रकम कम कर दी जाएगी।"

3. उक्त नियमावली में नियम 4 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"4. मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप ऐसी दरों पर मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो 7300—100—7600 और इससे उपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के श्रेणी "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"

4. उक्त नियमावली में, नियम 11 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"11. छुट्टी यात्रा रियायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शर्तों पर, जो 7300—100—7600 रुपए या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के श्रेणी "क" अधिकारी को लागू हैं, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।"

पाद टिप्पणी:—

मख्य नियम, भारत के राजपत्र में दिनांक 10 अगस्त, 1985 की सा. का. नि. संख्या 644 (इ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[संख्या क-12018/5/86 प्रशा. अधि०]

श्रीमती पी. वी. वल्सला जी. कुट्टी, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 18th June, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 583(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1987.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted namely:—

"3. Pay—The Chairman shall receive a pay of Rupees nine thousand per mensem; a Vice-Chairman shall receive a pay of rupees eight thousand per mensem and a Member shall receive pay in the scale of Rs. 7300-100-7600 per mensem;

Provided that in the case of an appointment as a Chairman, Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a Judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and/or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him."

3. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :—

"4. Dearness Allowance and city Compensatory Allowance :

The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall receive dearness allowance and City Compensatory Allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' officers of the Central Governmen drawing a pay in the scale of Rs. 7300-100-7600 or above."

4. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted namely :—

"11. Leave Travel Concession : The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are applicable to Group 'A' Officer of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 7300-100-7600 or above.

Footnote :—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 644(E) dated the 10th August, 1985 in the Gazette of India.

[No. A-12018/5/86-ATI

MRS. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987